(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

....

दिनांक 5 दिसम्बर, 2016

संकल्प

सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में राजभाषा गौरव पुरस्कार एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत संकल्प संख्या 11034/48/2014 -रा.भा.(नीति) दिनांक 31 अक्टूबर 2016 के क्रम में उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया गया है:

1.1 वर्तमान में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत तीन बड़े और तीन छोटे मंत्रालयों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों को बार-बार पुरस्कार मिलतें हैं, जिसके कारण अन्य मंत्रालयों/विभागों को अवसर नहीं मिलता। अत: यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

1.2 राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं में छपे उत्कृष्ट लेख लिखने वाले लेखकों को नकद राशि के साथ प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न भी प्रदान किए जाएंगे।

1.3 क्षेत्रीय पुरस्कारों में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए दो श्रेणी हैं। (क) 50 कार्मिकों तक की संख्या वाले कार्यालय तथा (ख) 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालय। अब 10 कार्मिकों तक के कार्यालयों की एक अलग श्रेणी बनायी जाएगी और इस श्रेणी में केवल प्रथम पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए प्रत्येक भाषायी क्षेत्र में कुल सात पुरस्कार होंगे, अर्थात 1 से 10 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए एक पुरस्कार, 11 से 50 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार तथा 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों के नाम का विचार क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए नहीं किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार,मुद्रणालय,
फरीदाबाद(हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार